



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)  
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिंहपुर)

द्वारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 7-37- /2025 तारख दिनांक 6/10/2025 निर्णय दिनांक 4/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क.सं.	नाम	खाता नम्बर	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	वर्तमान प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	राजपुरा	9	महोदय जी निवेदन है कि मुलाधिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	1. किशोरी पति गोहरू सा. देह खातेदार साहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुशंघा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 9 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश जाता है।	
	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर मोहर	हस्ताक्षर तहसीलदार मय	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
	<i>[Signature]</i> 4/10/2025 Karanvirvedi	<i>[Signature]</i> 4/10/2025	<i>[Signature]</i> 4/10/2025	तहसीलदार कपासन अमल-चित्तौड़गढ़ (राज.)	<i>[Signature]</i>	

सहायक कलक्टर (राज.)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जिला-चित्तौड़गढ़